<u>प्राथमिकता/समयबद्ध/तत्काल</u>

<u>संख्या-53/2016/949/58-2-2016-900(6)/2015</u>

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 02 नवम्बर, 2016**

विषयः- ‘मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना’ के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-खा0प्र0मि0-1179/मु0मं0का0यो0/मार्ग-निर्देश/2015-16/लखनऊ, दिनांक-03 सितम्बर, 2015 तथा पत्र संख्या-खा0प्र0उ0नि0-274/मु0मं0खा0प्र0मि0/2016-17, दिनांक-03 जून, 2016 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश में ‘मुख्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना’ लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस मिशन योजना के प्राविधान एवं शर्तें निम्नवत होंगी:-

2. मुख्य मंन्त्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निम्नलिखित उद्योग सम्मिलित होंगे :-

- फल एवं सब्जी, पुष्प, मसाले, शहद, औषधीय एवं संगन्ध फसलें एवं मशरूम प्रसंस्करण।
- खाद्यान्न मिलिंग प्रसंस्करण (खाद्यान्न, दलहन और तिलहन)।
- कुछ कृषि उत्पाद जैसे-मिल्क पाउडर, शिशु दुग्ध आहार, माल्टेड मिल्क फूड, कन्डेन्स्ड मिल्क, घी तथा अन्य डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री और अण्डा, माँस तथा माँस उत्पाद का प्रसंस्करण।
- मछली प्रसंस्करण।
- डबलरोटी, तिलहन, तैयार भोज्य पदार्थ, नाश्ता आहार, मिष्ठान (कोको प्रसंस्करण और चॉकलेट उत्पादन समेत), माल्टेड एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन आइसोलेट, अधिक प्रोटीन वाले खाद्य, वीनिंग फूड और एक्सट्रैक्टेड खाद्य उत्पाद का प्रसंस्करण।
- बीयर।
- गैर शीरा आधारित अल्कोहल पेय।
- वातित जल/शीतल पेय।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेषीकृत पैकेजिंग।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

- कोल्ड चेन, मूल्य सम्वर्द्धन तथा प्रसंस्करण अवसंरचना सुविधाओं का सृजन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी प्रोसेसिंग सेण्टर एवं कलेक्शन सेण्टर की स्थापना।
- रीफर व्हीकल्स/मोबाइल प्री-कूलिंग वैन।

3. इस मिशन के अन्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों हेतु स्थायी पूँजी निवेश का तात्पर्य भवन, प्लाण्ट, मशीनरी तथा परिसम्पत्तियों में किये गये ऐसे निवेश से है, जिसके माध्यम से निर्मित माल की बिक्री की जाती हो।

स्थायी पूंजी निवेश की गणना हेतु पूर्व में प्रयोग की जा चुकी प्लाण्ट, मशीनरी तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों में किये गये निवेश को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

4. प्रस्तावकों के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के प्राप्त प्रस्तावों को प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांन्त पर इस शर्त के अधीन अनुदान देय होगा कि प्रस्तावक द्वारा सभी औपचारिकतायें एवं अभिलेख पूर्ण कर दिये गये हों।

5. ‘मुख्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना’ के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण के अनुसार प्रदेश में नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को रियायतें एवं अनुदान सुविधायें अनुमन्य होंगी:-

5.(1) खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना :

योजनान्तर्गत नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को उनके द्वारा स्थापित किये गये प्लांट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्टस पर होने वाले व्यय हेतु बैंको/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक ब्याज की दर से, जो भी कम हो, अधिकतम 05 वर्ष हेतु अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष प्रति इकाई रू0-50.00 लाख की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

5.(2) कोल्ड चेन, मूल्य सम्वर्द्धन तथा प्रसंस्करण अवसंरचना सुविधाओं का सृजन :

योजनान्तर्गत गैर बागवानी/बागवानी फसलों हेतु कोल्ड चेन, मूल्य सम्वर्द्धन और प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए स्थापित किये गये प्लांट, मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य पर होने वाले व्यय हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से, अथवा वास्तविक दर से जो भी कम हो, अधिकतम 10 वर्षो हेतु अधिकतम रू0-1000 लाख की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

यह उपादान प्रथम 10 इकाईयों को ही, उनके व्यवसायिक कार्य चालन अर्थात प्रथम वाणिज्यिक लेन-देन की तिथि से अनुमन्य होगा।

5.(3) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी प्रोसेसिंग सेण्टर एवं कलेक्शन सेण्टर की स्थापना :

ग्रामीण क्षेत्रों में योजना को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत प्राइमरी प्रोसेसिंग सेण्टर एवं कलेक्शन सेण्टर हेतु स्थापित किये गये प्लांट, मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्टस पर होने वाले व्यय हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से, जो भी कम हो, अधिकतम 05 वर्षो हेतु अधिकतम रू0-50.00 लाख की सीमा तक केवल एक बार के लिए प्रतिपूर्ति की जायेगी।

.....3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

5.(4) रीफर व्हीकल्स/मोबाइल प्री-कूलिंग वैन :

मिशन की आवश्यकता के दृष्टिगत योजनान्तर्गत रीफर व्हीकल्स/मोबाइल प्री-कूलिंग वैन के क्रय पर होने वाले व्यय हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक ब्याज की दर से, जो भी कम हो, अधिकतम 05 वर्षो हेतु अधिकतम रू0 50 लाख की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

5.(5) रू0 25 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश करने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को निम्नांकित अतिरिक्त सुविधायें अनुमन्य होंगी:-

(i) निर्बाध विद्युत आपूर्ति :

निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने हेतु फीडर लाईन एवं सब-स्टेशन की स्थापना हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रति इकाई कुल रू0 1.00 करोड़ की सीमा तकप्रतिपूर्ति की जायेगी।

(ii) वैट/केन्द्रीय बिक्रीकर की प्रतिपूर्ति :

प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थापित होने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों जिनमें स्थाई पूंजी निवेश रू0 25 करोड़ या अधिक हो, उनको प्रथम बिक्री की तिथि से उनके द्वारा जमा किये गये वैट व केन्द्रीय बिक्रीकर के योग्य समतुल्य अथवा वार्षिक विक्रय धन का 10 प्रतिशत धनराशि जो भी कम हो, 10 वर्षो की अवधि तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

5.(6) खाद्य प्रसंस्करण विषय में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स चलाने हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन:

राजकीय क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग टेक्नालोजी सम्बन्धी डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स चलाने हेतु विश्वविद्यालयों/राजकीय संस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं-यथा आधुनिक पुस्तकालय पायलेट प्लान्ट, प्रयोगशाला इक्विपमेन्ट के सृजन हेतु होने वाले व्यय पर अधिकतम धनराशि रू0 75.00 लाख की सीमा तक अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

5.(7) खाद्य प्रसंस्करण कौशल विकास:

5.(7)(1) उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित करने के लिए केन्द्र/राज्य सरकार के संस्थान, विकास एवं अनुसंधान संस्थान में उद्यमियों/प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के प्रस्तर-3.12(4) में दी गयी व्यवस्था की सीमा तक उद्योगों की स्थापना तक सहयोग प्रदान किया जायेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के प्रस्तर-3.12(4) के उक्त अंश निम्नवत है :-

ßखाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे-केन्द्रीय फूड टेक्नालोजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर डिफेन्स फूड रिसर्च लैब, मैसूर तथा राज्य एवं भारत सरकार के प्रतिष्ठित

.....4/-

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रशिक्षण संस्थानों/महाविद्यालयों में उद्यमिता विकास हेतु विशेषज्ञ प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा। इस प्रकार के 10 दिवसीय एवं 20 नव उद्यमियों/ प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु सम्बन्धित संस्थान को रू0 1.00 लाख प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुदान की सुविधा सुलभ कराई जायेगी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के प्रस्तर संख्या-3.12(4) में की गयी उपरोक्त व्यवस्था की सीमा तक कराया जायेगा।

5.(7)(2) खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने वाली देश की शीर्ष संस्थाओं पर चयनित उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वास्तविक लागत के आधार पर यह सुविधा उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के प्रस्तर-3.12(4) में की गयी व्यवस्था की सीमा तक प्रदान की जायेगी।

5(8) परियोजना अवधि:-

मुख्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षो की अवधि के लिए मान्य होगी। इस मिशन में निहित सहायता की सीमा तक उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 संशोधित मानी जायेगी।

परियोजना से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश तथा गाईड लाईन पृथक से निर्गत की जायेगी।

5(9) प्रकीर्ण :-

यदि आवेदन करने वाली इकाई/संस्था द्वारा किसी अन्य संस्था अथवा भारत सरकार से अनुदान/सहायता प्राप्त की गयी है तो इस योजना के अन्तर्गत अनुमन्य मदों में दी जाने वाली सहायता में से पूर्व में उन्ही मदों में प्राप्त की गयी सहायता की धनराशि घटा कर अतिरिक्त अनुमन्य सहायता इस योजना से प्रदान की जायेगी।

संस्था/इकाई इस योजना से भिन्न मद हेतु भारत सरकार अथवा अन्य योजना/विभाग से अनुदान प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

6. मुख्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना (सी0एम0एफ0पी0एम0)-मा0मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राज्य खाद्य प्रसंस्करण विकास परिषद (एस0एफ0पी0डी0सी0) के अन्तर्गत संचालित की जायेगी।

7. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एस0एल0ई0सी0): राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में संचालित होगी।

8. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 इस योजना के पदेन मिशन निदेशक होंगे तथा वह राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन परिषद (एस0एफ0पी0डी0सी0) एवं राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एस0एल0ई0सी0) के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा योजना के क्रियान्वयन संचालन अनुश्रवण हेतु समय-समय पर आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। इस इकाई में परियोजना के समयबद्व क्रियान्वयन, अनुश्रवण, अभिलेखों का रख-रखाव और ऑडिट आदि सम्बन्धी कार्यों के लिए राजकीय अधिकारी, कर्मचारी रखे जा सकेंगे तथा सेवा

.....5/-

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रदाता के माध्यम से न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार अधिकारी/स्टाफ वित्त विभाग की सहमति से रखे जा सकेंगे।

9. प्रदेश में मुख्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना लागू होने की तिथि से उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अन्तर्गत पूर्व में प्रदत्त सुविधाओं के प्रस्तर-3.2(1),3.2(2),3.3(1),3.12(1)(2)(3)(4)(5),3.13(1)(2)(3)(4) उक्त सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

10. ‘मुख्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना’ के अन्तर्गत प्रदेश में नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को रियायते एवं अनुदान सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु शासकीय व्यय की व्यवस्था खाद्य प्रसंस्करण विभाग के आय-व्ययक में प्रतिवर्ष कराया जायेगा।

‘मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना’ के अन्तर्गत संचालित उद्योगों द्वारा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम/विनियम, 2011 का अनुपालन किया जायेगा।

इकाई द्वारा लिये गये ऋण एवं ब्याज की अदायगी बैंक को करने के पश्चात इकाई को ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु आगणित धनराशि उसके खाते में अंतरित कर दी जायेगी जिसका आधार त्रैमासिक हो अथवा बैंक एवं इकाई के मध्य जो भी अनुबंध हो, उसके अनुसार किया जायेगा।

यदि इकाई द्वारा जानबूझकर बैंक का ऋण अदा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ब्याज की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। भारतीय रिजर्व बैंक का परिपत्र दिनांक-01 जुलाई, 2015 में 'विलफुल डिफाल्ट' को परिभाषित किया गया है।

यदि इकाई किन्हीं ऐसे कारणों से ऋण अदा करने में असमर्थ हो जाय, जो उसके नियंत्रण से परे है तो ऐसी स्थिति में निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण को संबंधित बैंक से मामले को टेक-अप कर इकाई के पुनर्वासन हेतु गंभीर एवं सार्थक प्रयास करने होंगे तथा इकाई यदि पुनर्वासन योग्य पात्रता की श्रेणी में आ जाय तो ऐसी इकाई को ब्याज की प्रतिपूर्ति दी जाती रहेगी।

11. यह मिशन योजना सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-53/2016/949(1)/58-2-2016, तद्दिनांक::</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(3) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

.....6/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(6) आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(11) स्थानिक आयुक्त, उ0प्र0, नई दिल्ली।
(12) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(13) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
(14) गोपन अनुभाग-1
(15) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
(16) बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(17) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।
(18) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(19) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in